



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102020-222265  
CG-DL-E-06102020-222265

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3092]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 6, 2020/आश्विन 14, 1942

No. 3092]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2020/ ASVINA 14, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2020

सं. 38/2015-2020

विषय : डीएफआईए के तहत आयात से संबंधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 3473(अ).—समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार नीति के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 4.25 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

पैरा 4.25 के अंतर्गत, उप-पैरा (ग) के बाद, उप-पैरा (घ) को निम्नानुसार शामिल किया जाता है:

(घ) डीएफआईए स्कीम के अंतर्गत टायरों का आयात अनुमत नहीं है।

इस अधिसूचना का प्रभाव: डीएफआईए स्कीम के अंतर्गत "टायरों" के आयात की मनाही करने हेतु विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 4.25 के अंतर्गत नया उप-पैरा (घ) को शामिल किया गया है।

[फा. सं. 01/94/180/436/एम-20/पीसी-4]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th October, 2020

**No. 38/2015-2020**

**Subject: Amendments in Foreign Trade Policy 2015-2020, related to import under DFIA Scheme-reg**

**S.O. 3473(E).**—In exercise of powers conferred by Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby makes following amendments in para 4.25 of Foreign Trade Policy 2015-20.

**Under para 4.25, after sub-para (c), sub-para (d) is introduced as under:**

**(d)** Import of Tyres under DFIA Scheme is not allowed.

**Effect of this Notification:** A new sub-para (d) under para 4.25 of FTP 2015-20, for disallowing import of “tyres” under DFIA Scheme is introduced.

[F. No. 01/94/180/436/AM-20/PC-4]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade  
& Ex-officio Addl. Secy.